

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं0 315, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/ए-3/2021/ 194

दिनांक : 17/6/21

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस


विषय:- गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

Drugs Controller General (I), Ministry of Health & Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organization (Enforcement Division), FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 के पत्र दिनांक 11.06.2021 से औषधि Favipiravir Tablets 400mg and 200mg निम्नांकित औषधि को अवमानक कोटि का घोषित किया है:-

S. No.	Name of Drugs.	B.No.	M/D E/D	Manufactured by (as per lable claim)	Marketed by	Remarks
1.	Favimax 200 Tablets	TP-0421901	04/2021 03/2023	M/s Max Relief Healthcare, Vill-Anji, Solan, H.P.173212	M/s Covalent Healthcare, Kolkata West Bengal	Manufacturer does not exist and content of Favipiravir found NIL.
2.	Favimax 400 Tablets	TP-0421903	04/2021 03/2023	---- do ----	---- do ----	---- do ----
3.	Favimax 400 Tablets	TP-0421907	04/2021 03/2023	---- do ----	---- do ----	---- do ----
4.	Favimax 400 Tablets	TP-0521910	05/2021 04/2023	---- do ----	---- do ----	---- do ----

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त के सम्बन्ध पाये गये स्टॉक को जब्त करे एवं अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लेवें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए-3/2021/ 194

दिनांक : 17/6/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दवाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
6. The Drugs Controllers" Andrapradesh/Gujarat/Himachal Pradesh/Pondicherry/Madhya Pradesh/ Uttrakhand/ Assam/ Arunachal Pradesh/Andaman Nicobar/Bihar/Chattisgarh/Daman/Delhi/Dadar & Nagar Haveli/ Maharashtra/Goa/Haryana/Jammu & Kashmir/Jharkhand/Kerala/Lakshadweep/ Manipur/ Meghalaya/ Mizoram/Nagaland/Orissa/Punjab/Sikkim/Tripura/UttarPradesh/West Bengal/Karnataka/ Maharashtra.
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली।


औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर